

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नर्मदापुरम (म0प्र0)

—:आदेश:-

क्रमांक: 538/दो-11-2/19

नर्मदापुरम, दिनांक 19.05.2026

श्री रामसेवक भल्लावी, साक्ष्य लेखक न्यायालय प्रथम जिला न्यायाधीश, पिपरिया का मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम 2025 के नियम 37 के अंतर्गत, दिनांक 04.05.2026 से 13.05.2026 तक 10 दिवस तथा मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक 4/7/2003/नियम/चार, दिनांक 15.09.2023 की कंडिका (तीन) के अन्तर्गत (द्वितीय भाग में) दिनांक 18.05.2026 से 22.05.2026 तक 05 दिवस, कुल 15 दिवस का पितृत्व अवकाश, मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

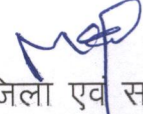

वास्ते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
नर्मदापुरम, (म.प्र.)

पृ0क0 226/दो-11-2/19

नर्मदापुरम, दिनांक 19.05.2026

यथाआदेश प्रतिलिपि:-

01. प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग, पिपरिया की ओर सूचनार्थ प्रेषित है।
02. प्रथम जिला न्यायाधीश, पिपरिया की ओर श्री रामसेवक भल्लावी, साक्ष्य लेखक को सूचित कराये जाने हेतु प्रेषित है।
03. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, नर्मदापुरम की ओर वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित है।


वास्ते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
नर्मदापुरम, (म.प्र.)